भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1737

(13 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

जनजातीय क्षेत्रों तक सड़क संपर्क

1737. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में, वर्ष-वार और राज्य-वार, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सहित विभिन्न योजनाओं के तहत जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्वीकृत की गई सड़क परियोजनाओं की संख्या और निर्मित की गई सड़कों की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) देरी के कारणों सहित जनजातीय क्षेत्रों में अधूरे या चल रहे सड़क कार्यों की स्थिति क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने ऐसी सड़कों की गुणवत्ता और टिकाऊपन, विशेषकर मानसून, पहाड़ी इलाकों और अन्य चुनौतीपूर्ण स्थानीय परिस्थितियों का सामना करने की उनकी क्षमता का आकलन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के डिज़ाइन मानकों, रखरखाव, या हर मौसम में सुदृढ़ता को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) एक क्षेत्र-विकास पहल है जो जनसंख्या मानदंडों के आधार पर पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करती है, जिसमें जनजातीय अनुसूची-V क्षेत्रों में 250+ आबादी और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित ब्लॉकों के संबंध में 100+ तक की आबादी वाली बसावटों को भी शामिल किया गया है। इसकी शुरूआत से अब तक, 8,48,025 कि.मी. सड़क लंबाई स्वीकृत की गई है, और 7,89,652 कि.मी. का कार्य पूरा हो चुका है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) शामिल है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2025-26 में 2,751 कि.मी. सड़क लंबाई स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, पीएम-जनमन घटक में उन क्षेत्रों को लक्षित किया गया है जहां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) निवास करते हैं, इनमें अब तक 7,324 कि.मी. लंबाई स्वीकृत की गई है और 1,675 कि.मी. का कार्य पूरा हो चुका है। पीएमजीएसवाई के तहत जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में

स्वीकृत सड़क परियोजनाओं की संख्या और निर्मित सड़कों की कुल लंबाई का राज्य-वार ब्यौरा **https://pmgsy.dord.gov.in=>ProgressMonitoring=>State MPR Abstract Report** पर देखा जा सकता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएम-जनमन के तहत स्वीकृत और पूरी की गई परियोजनाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **https://pmgsy.dord.gov.in=>Progress Monitoring=>Financial Year-wise Achievement** पर देखा जा सकता है।

मनरेगा योजना में आंतरिक ग्राम सड़कों के निर्माण की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिसका ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों में जारी कार्यों में विलंब मुख्य रूप से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, वन विभाग की मंजूरी की आवश्यकता, स्थानीय रूप से निर्माण सामग्री की सीमित उपलब्धता और स्थानीय कानून और व्यवस्था की चुनौतियों के कारण होता है।

(ग) और (घ): चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इन सड़कों की गुणवत्ता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए, सभी परियोजनाओं को ग्रामीण और पहाड़ी सड़कों के संबंध में विशिष्ट मैनुअल सहित भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। यह मंत्रालय एक मज़बूत तीन-स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र लागू करता है जिसमें परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों द्वारा इन-हाउस नियंत्रण, स्वतंत्र राज्य-स्तरीय निगरानी और राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं द्वारा यादृच्छिक केंद्र-स्तरीय निरीक्षण शामिल हैं, जो जियोटैग की गई रिपोर्ट को ओएमएमएएस पोर्टल पर अपलोड करते हैं। मूल ठेकेदार के साथ अनिवार्य पांच वर्षीय निर्माण पश्चात रखरखाव संविदा द्वारा मजबूती की गारंटी और अधिक बढ़ जाती है, इसके पश्चात राज्य द्वारा वित्त पोषित जोनल रखरखाव किया जाता है। मजबूती और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, इस मंत्रालय ने माननीय संसद सदस्यों, विधायकों और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए समय-समय पर संयुक्त फील्ड निरीक्षणों की व्यवस्था भी बनाई है।

मनरेगा के तहत संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने और परिसंपत्तियों की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए, सड़क निर्माण में कार्यस्थल चयन, डिजाइन और निष्पादन को शामिल करते हुए व्यवस्थित तकनीकी मानदंडों का पालन किया जाना है। यह योजना विशेष रूप से मैदानी क्षेत्रों में 500 से कम और विशेष श्रेणी के राज्यों में 250 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा और जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित "पी-नेट" मानचित्र के माध्यम से चिह्नित ग्रामीण सड़कों और अन्य जिला सड़कों (ओडीआर) को नए सड़क संपर्क प्रदान करने पर केंद्रित है। सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) ग्रामों तक जाने वाली सड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तकनीकी विनिर्देश स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हैं, जिसमें बसावटों को आपस में जोड़ने वाली सड़कों में बजरी या उन्नयन शक्ति (सीबीआर मूल्यों) के आधार पर पतली बिटुमिनस सीलिंग का उपयोग किया जाता है, जबकि गांव की आंतरिक सड़कों में एकीकृत जल-निकासी के साथ सीमेंट कंक्रीट या फ्लाई ऐश ब्लॉकों का उपयोग किया जाता है।

कार्यान्वयन विकेंद्रीकृत है, जिसमें ग्राम पंचायतें स्थानीय फार्म-नेट सड़कों का कार्य करवाती हैं और उच्च-स्तरीय निकाय बसावटों को आपस में जोड़ने वाली सड़कों का प्रबंधन करते हैं, सभी कार्य पीएमजीएसवाई के गुणवत्ता आश्वासन प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किए जाते हैं। निधियों के अपव्यय को रोकने के लिए, इस योजना में कंक्रीट सड़कों के संबंध में कम से कम 10 वर्षों तक और बजरी सड़कों के संबंध में 5 वर्षों तक एक ही खंड पर पुनर्निर्माण कार्य सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है, यह ऐसी शर्त है जिसका सत्यापन तकनीकी स्वीकृति प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए। वित्त आयोग की निधियों का उपयोग करते हुए ग्रामीण सड़क नेटवर्क की दीर्घकालिक मजबूती और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी गई है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1737 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

मनरेगा योजना के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में ग्रामीण संपर्कता श्रेणी के तहत निर्मित और बनाई जा रही सड़कों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (दिनांक 10 फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	पूरे किए गए कार्यों की संख्या						जारी
		2025-2026	2024-2025	2023-2024	2022-2023	2021-2022	2020-2021	
1	अरुणाचल प्रदेश	1,003	1,267	742	338	932	775	3,729
2	असम	1,926	4,163	899	380	1,905	3,195	7,461
3	बिहार	12,185	41,690	40,993	20,843	41,905	36,586	91,105
4	छत्तीसगढ़	2,810	5,973	5,967	4,147	2,932	3,237	3,104
5	गोवा	8	69	2	5	26	35	136
6	गुजरात	3,332	14,165	4,875	5,465	6,190	5,971	13,104
7	हरियाणा	1,359	3,865	1,333	1,353	5,618	4,673	7,148
8	हिमाचल प्रदेश	9,546	15,289	11,948	13,827	11,420	11,448	22,106
9	जम्मू और कश्मीर	3,798	16,452	10,520	16,596	22,358	19,334	1,40,628
10	झारखंड	854	2,551	2,207	1,988	1,751	1,720	7,353
11	कर्नाटक	14,538	43,590	32,761	34,335	19,725	20,144	50,579
12	केरल	4,121	13,999	15,762	13,406	11,102	9,396	15,297
13	लद्दाख	744	1,643	706	916	390	152	534
14	महाराष्ट्र	10,528	7,571	4,565	4,780	4,171	3,777	48,854
15	मणिपुर	2,289	2,431	2,094	386	2,280	2,999	9,796
16	मेघालय	3,016	8,503	4,548	2,836	2,826	6,182	24,873
17	मिजोरम	1,265	1,880	1,986	1,714	1,822	1,928	461
18	नागालैंड	516	902	1,105	218	720	1,006	2,095
19	ओडिशा	8,510	14,711	15,226	27,382	16,253	8,931	49,291

20	पंजाब	5,179	14,861	15,854	13,717	14,423	10,964	20,143
21	राजस्थान	9,932	43,107	19,792	13,144	16,171	12,873	86,094
22	सिक्किम	170	285	208	234	247	233	438
23	तमिलनाडु	6,135	14,092	17,210	17,734	11,986	5,337	24,856
24	तेलंगाना	15,179	19,338	17,423	18,175	26,403	11,999	91,345
25	त्रिपुरा	1,161	3,237	3,114	3,690	3,522	5,259	3,274
26	उत्तर प्रदेश	54,314	78,645	67,376	86,313	46,527	50,121	1,67,146
27	उत्तराखंड	3,367	5,888	6,476	9,652	4,321	6,450	10,529
28	पश्चिम बंगाल	1,850	117	469	6,913	40,144	35,690	23,079
29	अंडमान और निकोबार	15	29	32	2	29	26	76
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और	1	-	-	-	-	-	11
31	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	5
32	पुदुचेरी	13	41	17	26	17	30	56
	कुल	**1,79,664**	**3,80,354**	**3,06,210**	**3,20,515**	**3,18,116**	**2,80,471**	**9,24,706**
